



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 170]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 7, 2019/फाल्गुन 16, 1940

No. 170]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 7, 2019/ PHALGUNA 16, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2019

सं. 11/2019-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 193(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् की सिफारिशों पर ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपए तक संकलित आवर्त है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है, जो माल या सेवाओं या दोनों के जावक प्रदाय के ब्यौरे देने के लिए नीचे यथा वर्णित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे।

2. उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, माल या सेवाओं या दोनों के जावक प्रदाय के ब्यौरे, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के अधीन ऐसे **प्ररूप जीएसटीआर-1** में देंगे, जो नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट तिमाही के दौरान उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट समयावधि तक प्रस्तुत करने हैं, अर्थात् :—

सारणी

क्रम सं.	तिमाही, जिसके लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत किए जाते हैं	प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे देने के लिए समयावधि
(1)	(2)	(3)
1	अप्रैल-जून, 2019	31 जुलाई, 2019

3. उक्त अधिनियम की धारा 38 की उप-धारा (2) और धारा 39 की उप-धारा (1) के अधीन जुलाई, 2017 से जून, 2019 के मास के लिए, यथास्थिति, ब्यौरों या विवरणी देने की समय-सीमा पश्चात्तवर्ती रूप से राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी।

[फा. सं. 20/06/16/2018-जीएसटी]

डॉ. श्रीपार्वती एस. एल., अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2019

No. 11/2019—Central Tax

G.S.R. 193(E).—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered persons having aggregate turnover of up to 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, as the class of registered persons, who shall follow the special procedure as mentioned below for furnishing the details of outward supply of goods or services or both.

2. The said registered persons shall furnish the details of outward supply of goods or services or both in **FORM GSTR-1** under the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, effected during the quarter as specified in column (2) of the Table below till the time period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:—

TABLE

Sl. No.	Quarter for which details in FORM GSTR-1 are furnished	Time period for furnishing details in FORM GSTR-1
(1)	(2)	(3)
1	April –June, 2019	31 st July, 2019

3. The time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 and sub-section (1) of section 39 of the said Act, for the months of July, 2017 to June, 2019 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

[F. No. 20/06/16/2018-GST]

Dr. SREEPARVATHY S. L., Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2019

सं. 12/2019-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 194(अ).—आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग द्वारा, जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त 1.5 करोड़ रुपयों से अधिक है, अप्रैल, 2019 से जून, 2019 तक प्रत्येक मास के लिए उस मास के उत्तरवर्ती मास के 11वें दिन तक, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन **प्रारूप जीएसटीआर-1** में जावक प्रदायों के ब्यौरे देने की समय सीमा को विस्तारित करते हैं।

2. उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) और धारा 39 की उप-धारा (1) के अधीन जुलाई, 2017 से जून, 2019 मास के लिए यथास्थिति, ब्यौरे या विवरणी देने के लिए समय सीमा को तत्पश्चात् राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

[फा. सं. 20/06/16/2018-जीएसटी]

डॉ. श्रीपार्वती एस. एल., अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2019

No. 12/2019-Central Tax

G.S.R. 194(E).—In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 37 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** under the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, by such class of registered persons having aggregate turnover of more than 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, for each of the months from April, 2019 to June, 2019 till the eleventh day of the month succeeding such month.

2. The time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 and sub-section (1) of section 39 of the said Act, for the months of July, 2017 to June, 2019 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

[F. No. 20/06/16/2018-GST]

Dr. SREEPARVATHY S. L., Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2019

सं. 13/2019-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 195(अ).— आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 61 के उप-नियम (5) के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर यह विनिर्दिष्ट करते हैं कि अप्रैल, 2019 से जून, 2019 तक प्रत्येक मास के लिए उक्त नियम के प्ररूप **जीएसटीआर-3ख** में विवरणी ऐसे मास के उतरवर्ती मास के वीसवें दिन को या उससे पूर्व सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी जाएगी।

2. **प्ररूप जीएसटीआर-3ख के अनुसार कर दायित्व के निर्वहन के लिए कर संदाय.**—प्ररूप **जीएसटीआर-3ख** में विवरणी देने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए पहले पैरा में यथाविनिर्दिष्ट उस अंतिम तारीख के उप-धारा, जिसको उससे उक्त विवरणी को देने की अपेक्षा की जाती है, यथास्थिति, इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते या इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में विकलन करके, उक्त अधिनियम के अधीन संदेय कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के संबंध में अपने दायित्व का निर्वहन करेगा।

[फा. सं. 20/06/16/2018-जीएसटी]

डॉ. श्रीपार्वती एस. एल., अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2019

No. 13/2019—Central Tax

G.S.R. 195(E).—In exercise of the powers conferred by section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby specifies that the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules for each of the months from April, 2019 to June, 2019, shall be furnished electronically through the common portal, on or before the twentieth day of the month succeeding such month.

2. Payment of taxes for discharge of tax liability as per FORM GSTR-3B.—Every registered person furnishing the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules shall, subject to the provisions of section 49 of the said Act, discharge his liability towards tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the said Act by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger, as the case may be, not later than the last date, as specified in the first paragraph, on which he is required to furnish the said return.

[F. No. 20/06/16/2018-GST]

Dr. SREEPARVATHY S. L., Under Secy.